भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2280

उत्तर 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया

बैंक सेवा प्रभार

2280. श्री भगवंत खुबाः
डॉ॰ हिना विजय कुमार गावीतः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को निःशुल्क प्रदान की जा रही बुनियादी सामान्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अलग-अलग बैंक उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवा प्रदान करने के लिए अलग-अलग फीस और प्रभार लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके द्वारा लगाए गए अलग-अलग शुल्क और सेवा प्रभारों को समरूप बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाले बाह्य संव्यवहारों के लिए बैंकों से प्रसंस्करण और विभिन्न प्रसंस्करण प्रभार शुल्क लेती है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान कितने प्रभार संग्रहित किए गए हैं; और

(ङ) क्या आरबीआई की इन प्रभारों को छोड़ देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के क्या उद्देश्य हैं और सरकार द्वारा लोगों को अपने बैंक संव्यवहार में एनईएफई आरटीजीएस का उपयोग करने के लिए जागरूक करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) में निम्नलिखित मूलभूत न्यूनतम सेवाएं शुल्क मुक्त तथा खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने की किसी भी आवश्यकता के बिना प्रदान की जाती है:

(i) बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/नकद जमा मशीनों (सीडीएम) में नकद जमा करना।

(ii) किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से अथवा केन्द्र/राज्य सरकार एजेंसियों तथा विभागों द्वारा जारी चेकों को जमा/संग्रहण करके धन की प्राप्ति/जमा करना।

(iii) किसी एक माह में जमाराशियों की संख्या तथा राशि (वैल्यू) की कोई सीमा नहीं होगी।

(iv) एक माह में एटीएम निकासियों सहित न्यूनतम चार निकासियां।

(v) एटीएम कार्ड अथवा एटीएम सह डेबिट कार्ड।

तदनुसार, मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 57.3 करोड़ बीएसबीडी खातों (35.27 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों सहित) को उपर्युक्त सेवाएं बिना प्रभारों के उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक उपर्युक्त न्यूनतम सुविधाओं के अलावा चेक-बुक जारी करने सहित अतिरिक्त मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जो कि प्रकटन के अध्यधीन लागत वाली/बिना लागत वाली (भेदभाव रहित तरीके में) हो सकती हैं। ऐसी अतिरिक्त सेवाएं ग्राहकों के द्वारा विकल्प दिए जाने पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, ऐसी अतिरिक्त सेवाएं प्रस्तावित करते समय बैंकों द्वारा ग्राहक को न्यूनतम शेष राशि

बनाए रखने की अपेक्षानहीं की जाएगी तथा ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने से बीएसबीडी खाता गैर-बीएसबीडी खाता नहीं बनेगा, जब तक कि बैंकों विनिर्धारित न्यूनतम सेवाएं बिना प्रभार के प्रदान की जाती हैं।

"बैंकों में ग्राहक सेवा" पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 1 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार बैंकों को बीएसबीडी खातों से इतर खातों के लिए उनके द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं हेतु सेवा प्रभार तय करने की अनुमति दी गयी है लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रभार उचित हैं तथा इन सुविधाओं को प्रदान करने की औसत लागत से प्रतिकूल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रभारों के निर्धारण का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मूलभूत सेवाओं और अपनाए जाने/अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों को पहचानने का परामर्श दिया गया है। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे ऐसे कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों को सेवा प्रभारों के बारे में सीधे ही जागरूक किया जा सके और सेवा प्रभारों में परिवर्तनों को केवल ग्राहकों को पूर्व सूचना के साथ ही लागू किया जाए।

(घ) और (ङ.): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने "राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणालियों-प्रभारों की माफी" के संबंध में दिनांक 11.06.2018 के अपने परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले जावक लेन-देनों के लिए आरबीआई के द्वारा बैंकों पर लगाए जा रहे प्रसंस्करण प्रभारों एवं अलग-अलग समय पर लगाए जाने वाले प्रभारों और एनईएफटी प्रणालियों में किए गए लेनदेनों के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रभारों को रिज़र्व बैंक के द्वारा 1 जुलाई, 2019 से माफ कर दिया जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे आरटीजीएस एवं एनईएफटी प्रणालियों के द्वारा किए गए लेन-देनों का लाभ अपने ग्राहकों को दें।

आरबीआई द्वारा वर्ष 2016-17 से संग्रहित प्रभारों (करोड़ रुपए में) की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	**आरटीजीएस**		**एनईएफटी**	**कुल**
	सदस्यता शुल्क	**प्रसंस्करण अलग-अलग समय पर लगाए जाने वाले प्रभार**	**एनईएफटी क्लीयरिंग हाऊस प्रभार**	
वित्तीय वर्ष 2016-17	0.89	45.94	38.71	85.54
वित्तीय वर्ष 2017-18	0.94	52.30	46.28	99.52
वित्तीय वर्ष 2018-19	0.99	56.37	52.92	110.29
वित्तीय वर्ष 2019-20 (अप्रैल-जून)	0.25	14.69	13.62	28.56

स्रोत: आरबीआई

बैंकों पर आरबीआई के द्वारा लगाए जा रहे प्रसंस्करण तथा अलग-अलग समय पर लगाए जाने वाले प्रभारों की इस माफी से आरटीजीएस तथा एनईएफटी लेन-देनों की लागत में कमी आएगी और इससे डिजिटल निधि-संचालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं तथा एफएलसी को राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए गए मौलिक वित्तीय जागरूकता संदेशों, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एनईएफटी/आरटीजीएस जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, शामिल है, पर ऑडियो-विज़ुअल के प्रयोग की सलाह दी गई है।

*****